दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 10 मई 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 222

कश्मीर के कुलगाम में 40 घंटे के बाद मुठभेड़ खत्म, सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को किया ढेर

श्रीनगर | आरएनएस

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में लगभग 40 घंटे के बाद आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने बताया कि कुलगाम के सामान्य क्षेत्र रेडवानी पाइन में 6-7 मई की मध्यरात्रि को शुरू हुआ एक संयुक्त अभियान लगभग 40 घंटे की निरंतर निगरानी के बाद समाप्त हो गया है। साथ ही तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया है।

रेडवानी इलाके में सोमवार से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने बुधवार शाम को एक और आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके साथ ही इस मुठभेड़ में तीन आतंकियों को सुरक्षाबलों ने ढेर किया। इससे पहले मंगलवार को टीआरएफ का शीर्ष कमांडर बासित अहमद डार और उसका साथी फहीम अहमद बाबा मारा गया था। सूत्रों के अनुसार, सोमवार रात इलाके में तीन आतंकियों बासित अहमद डार, फहीम अहमद बाबा और मोमिन की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था।

पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में लश्कर-ए-ताइबा का कमांडर अबू हमजा समेत तीन से ज्यादा आतंकी शामिल थे। सीसीटीवी में कैद तीन दहशतगर्दों की तस्वीरें बुधवार को वायरल हो गईं। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि शनिवार को हुए हमले में आतंकी 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी करते रहे। पुंछ के डन्ना शाहस्तार में हुए हमले में शामिल तीन आतंकियों के फोटो सामने आए हैं। इनमें लश्कर का पाकिस्तानी कमांडर अबू हमजा, पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो इलियास फौजी व पाकिस्तानी दहशतगर्द हदून नजर आ रहा है। पूर्व कमांडो कई वर्षों तक पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों की साझा बैट टीम बार्डर एक्शन टीम में काम कर चुका है।

वंदेभारत एक्सप्रेस के एक डिब्बे में धुएं से मचा हड़कंप

इटावा | आरएनएस

दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग पर स्थित इटावा जिले के इकदिल रेलवे स्टेशन के निकट बनारस से नई दिल्ली जा रही सेमी हाईस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच से धुआं उठने ये हडक़ंप मच गया। आनन फानन में रेलवे के अधिकारियों ने रेलवे पावर सप्लाई (ओईची) को बंद कराके वंदे भारत एक्सप्रेस को रोका गया।

इटावा रेलवे स्टेशन अधीक्षक पूरनमल मीणा ने आज यहां बताया कि आज पूर्वाहन करीब 11 बजकर 3 मिनट पर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस इकदिल रेलवे स्टेशन से इटावा की ओर रवाना हुई तो रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी के चालक ने एक कोच से धुआं निकलते हुए देखा । मालगाड़ी के चालक ने वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच से धुआं निकलते हुए देखे जाने के बाद तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को इस बात की जानकारी दी जिसके बाद रेलवे पावर सप्लाई (ओईची)को बंद किया गया।

रेलवे पावर सप्लाई को बंद किए जाने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस 11 बजकर 22 मिनट पर इटावा के पास सुंदरपुर रेलवे फाटक के पास रुक गई। वंदे भारत एक्सप्रेस के रुकने के बाद मौके पर रेलवे की टीएसआर टीम रेलवे अधिकारियों के साथ पहुंची । टीआरएस टीम के एसएससी विपिन कुमार ने अपनी टीम के साथ कोच की जांच गहनता से की।

धुआं निकलने वाले कोच नंबर 14 की गहन जांच की गई लेकिन आग जैसी कोई घटना ना होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस को इटावा रेलवे स्टेशन पर लेकर आया गया और फिर से नए सिरे से गहन जांच रेलवे के अधिकारियों के ओर से की गई लेकिन पहले की तरह ही आग लगने का कोई भी वाक्या सामने न आने के बाद क्लीयरेंस देकर के वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। प्रयागराज रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच नंबर 14 से आग के बाद धुआं लगने की जानकारी सामने आई थी इसके बाद गहनता से जांच की गई । जांच में आग लगने का कोई भी घटनाक्रम सामने नहीं आया है। रेलवे अधिकारियों की ओर से गहन जांच के बाद क्लीयरेंस देकर के वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है।

चुनाव के बीच मिला रुपयों का पहाड़, पीवीसी पाइप ले जा रहे ट्रक से बरामद हुआ कैश

गरिकापाड़ु | आरएनएस

लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने काफी सख्त रुख अपना रखा है। आयोग ने कई जगह फ्लाइंग स्क्वायड लगा रखा है, जो चुनावों में हो रहे कोई भी अनाधिकृत कार्यों को रोकना का काम कर रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले पुलिस ने एनटीआर जिले में एक अंतरराज्यीय जांच चौकी पर बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया है।

8.36 करोड़ रुपये कैश बरामद

चौकी पर एक पीवीसी पाइप ले जा रहे ट्रक को जैसे ही पुलिस ने रोककर जांच की, तो उसके होश उड़ गए। पाइप के साथ उसे 8.36 करोड़ रुपये कैश मिला। पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान गरिकपाडु गांव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अंतर-राज्य चेक-पोस्ट पर ये पैसे जब्त किए। पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने हैदराबाद से गुंटूर जा रहे ट्रक में ड्राइवर की सीट के पीछे एक केबिन में छिपाई गई 8.36 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की। पुलिस के मुताबिक, चित्तूर जिले का ट्रक शेख अजीज नाम के व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। इस बीच, पुलिस अधिक जानकारी के लिए ट्रक चालक सीएच शनमुगन (40) और क्लीनर, पी शेखर रेड्डी (24) से पूछताछ कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नकदी को खजाना विभाग में जमा करने के बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 और 102 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों और 175 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ चुनाव 13 मई को होंगे और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।

जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- अंतरिम बेल से शुरू होगी गलत परंपरा

नई दिल्ली | आरएनएस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगा मुश्किलों का ग्रहण थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ईडी ने अब कोर्ट के सामने हलफनामा पेश कर बेल ना देने के पक्ष में तर्क दिए हैं। ईडी का कहना है कि अंतरिम बेल से गलत परंपरा शुरू हो जाएगी और चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है कि किसी को इस बिना पर बेल दे दी जाए।

ईडी ने किया विरोध- ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में जांच एजेंसी ने कहा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से एक दिन पहले आज ईडी की उप निदेशक भानु प्रिया ने हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा गया है, चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की जानकारी के अनुसार, किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार न हो।

'गलत परंपरा शुरू हो जाएगी'- ईडी ने यह भी दलील दी कि अगर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ईडी ने कहा, पिछले तीन सालों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि चुनाव पूरे साल होते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो यह असमानता के दायरे में आएगा।

हैदराबाद में दीवार गिरने के मामले में 6 गिरफ्तार, 7 लोगों की हुई थी मौत

हैदराबाद | आरएनएस

मेडचल मल्काजगिरी के बचुपल्ली में एक निर्माणाधीन स्थल पर मंगलवार को दीवार गिरने से सात लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

साइबराबाद पुलिस ने लापरवाही के आरोप में बिल्डर अरविंद रेड्डी, साइट इंजीनियर सतीश, प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रांसिस, ठेकेदार राजेश और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-2 के तहत मामला दर्ज किया है। भारी बारिश के बाद मंगलवार शाम को एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट परिसर की दीवार गिरने से चार साल के एक बच्चे समेत सात मजदूरों की मौत हो गई थी।

घटना मेडचल मल्काजगिरी जिले के बचुपल्ली में रेणुका येलम्मा मंदिर कॉलोनी में हुई थी।

पुलिस के अनुसार, 30 से 40 फीट ऊंची दीवार गिरी थी। जिसके नीचे दबकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रवासी निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई। रात भर चले बचाव अभियान के बाद पुलिस ने बुधवार सुबह सात शव बरामद किए।

मृतकों की पहचान राम यादव (44), गीता बाई (40), हिमांशु (4), शंकर गौड़ (18), श्रीपति महेजी (23), बिंद्रेश भवानी चौहान (30) और खुशी (20) के रूप में हुई है।

प्रवासी श्रमिक एक पांच मंजिला अपार्टमेंट इमारत की साइट पर काम कर रहे थे और वहां अस्थायी शेड में रह रहे थे।

तमिलनाडु : पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, पांच महिलाओं सहित सात की मौत

शिवकाशी | आरएनएस

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में शिवकाशी के पास एक पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार इस हादसे के दौरान पांच महिलाओं सहित सात लोगों की मौत होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक शिवकाशी के एक पटाखा फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार और तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। हादसे में कितने लोग घायल हुए फिलहाल इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। वहीं मौके पर दमकल विभाग की टीम और पुलिस पहुंच चुकी है।

अनियंत्रित ट्रैक्टर नहर में पलटा एक गंभीर घायल दो की हुई मौत

बल्दीराय/सुल्तानपुर | आरएनएस

तहसील क्षेत्र के बघौना के पास शारदा सहायक नहर के मोड़पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर शारदा सहायक नहर में पलट गया। जिसमें चालक सहित तीन लोग गंभीर घायल हो गए जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने एक को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की थोड़ी देर बाद मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार बघौना बाजार की तरफ से आ रहा ट्रैक्टर नहर के पुल से नीचे बल्दीराय की तरफ मोड़ते समय अनियंत्रित होकर गुरुवार दिन में लगभग दो बजे शारदा सहायक नहर में पलट गया जिसमें देवेंद्र यादव पुत्र इंद्रपाल (उम्र लगभग 42 वर्ष) निवासी बिगहुली, वंश कुमार यादव पुत्र काशीराम उम्र लगभग (15 वर्ष) निवासी बिगहुली, अजय पुत्र कृष्ण प्रसाद उम्र लगभग (14 वर्ष)निवासी पिंडारा थाना कोतवाली मुसाफिरखाना जनपद अमेठी मौजूद थे जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय लाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चालक देवेंद्र यादव पुत्र इंद्रपाल यादव निवासी बिगहुली थाना धनपतगंज को मृत्यु घोषित कर दिया वहीं बीरे पुत्र काशीराम निवासी बिगहुलीकी हालत गंभीर बनी हुई थी। जिनकी ईलाज के दौरान ही हादसा के कुछ देर बाद मौत हो गई।

आज खुलेगा केदारनाथ धाम का कपाट, भव्य तरीके से सजाई गई है मंदिर

केदारनाथ | आरएनएस

उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है। इसी बीच यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार अक्षय तृतीया पर 10 मई को सबसे पहले प्रात: काल 7.15 बजे केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान और आईटीबीपी की बैंड की धुन के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले गुरुवार सुबह 8.30 बजे भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली का गौरीकुंड में श्रृंगार किया गया। उसके बाद आरती की गई। यहां से डोली केदारनाथ के लिए भेजी गई। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाए और डोली पर पुष्पवर्षा की।दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर को बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इस बार केदारनाथ मंदिर को लगभग 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। तीर्थयात्रियों का भी केदारनाथ पहुंचना शुरू हो गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग से घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर तीर्थयात्री मंदिर तक यात्रा कर रहे हैं। उनकी कोशिश मंदिर खुलने के अवसर पर बाबा केदार के दर्शन करने की है।

इस्लाम धर्म शादीशुदा मुस्लिम को लिव-इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ | आरएनएस

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 'लिव-इन रिलेशन' को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पीठ ने कहा है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति को पत्नी के जिंदा रहते लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है। पीठ ने बुधवार को कहा, इस्लामिक मत इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने निकाह के बने रहते दूसरी महिला के साथ रहे। यदि दो व्यक्ति अविवाहित हैं और वयस्क हैं तो वह अपने तरीके से अपना जीवन जीना चुनते हैं। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश बहराइच जिले के मूल निवासी याचिकाकर्ता स्नेहा देवी और शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति मुहम्मद शादाब खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और लिव-इन रिलेशन में रहने के दौरान सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में थे। लेकिन लडक़ी के माता-पिता ने शादाब खान के खिलाफ अपहरण और उनकी बेटी को उससे शादी करने के लिए प्रेरित करने की एफआईआर दर्ज कराई। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि वे वयस्क हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र हैं।

पूछताछ में पीठ को पता चला कि खान की पहले ही साल 2020 में फरीदा खातून से शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी है। इस तथ्य पर विचार करते हुए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उन्हें पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय पीठ ने कहा कि इस्लाम धर्म ऐसे रिश्ते की इजाजत नहीं देता, खासकर मौजूदा मामले की परिस्थितियों में। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रूढिय़ां और प्रथाएं भी विधि के समान हैं। संविधान का आर्टिकल 21 ऐसे रिश्ते के अधिकार को मान्यता नहीं देता जो रूढिय़ों व प्रथाओं से प्रतिबंधित हो। इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता स्नेहा देवी को सुरक्षा में उसके माता-पिता के पास पहुंचा दिया जाए।

महत्वपूर्ण एवं खास

सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई-ईडी को मिले 4 दिन

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई-ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए चार दिन का और समय दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 3 मई को सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी कर दोनों एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। बुधवार को एजेंसियों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। ईडी के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी अभियोजन की शिकायत के साथ जांच में व्यस्त हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और चाहिए। वकील ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अन्य सह-अभियुक्त (दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल) के मामले से भी निपट रहे हैं। हमें एक सप्ताह का समय दीजिए। इस पर सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने आपत्ति जताई और कहा, एजेंसियां डेढ़ साल से ज्यादा समय से मामले की जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा था कि हम छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर लेंगे। जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट में कई बार स्थगित भी किया गया था। ईडी मामले में एक सह-अभियुक्त के संबंध में एक और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसे देखते हुए अदालत ने एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार दिन का और समय दिया, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की।

भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला महात्मा गांधी नरेगा में लगे संविदाकर्मी होंगे स्थायी, दस्तावेजों का सत्यापन कर कार्मिकों की सूची मांगी

जयपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में लगे संविदाकर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका लाभ उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जो अपनी सेवा के 9 साल या इससे अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं। अन्य विभाग या योजना की सेवा अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 11 जनवरी 2022 द्वारा जारी राजस्थान कांट्रेक्च्युअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम-20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सृजित 4966 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति 7 मार्च 2024 को जारी की गई है। इन आदेशों के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त संविदाकर्मी जो 9 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में संतोषजनक कार्य पूर्ण कर चुके हैं, की स्क्रीनिंग की जानी है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इनकी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाना है। 9 साल की अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी।

आईएएस अधिकारी और बीजेपी प्रत्याशी परमपाल कौर का वीआरएस पंजाब सरकार ने किया खारिज

चंडीगढ़ (आरएनएस)। केंद्र द्वारा त्यागपत्र मंजूर किए जाने के बावजूद भी पंजाब सरकार ने आईएएस अधिकारी और बठिंडा से बीजेपी प्रत्याशी परमपाल कौर का वीआरएस (समयपूर्व सेवानिवृत्ति) खारिज कर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है। परमपाल कौर ने आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने बठिंडा से चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, जिसे केंद्र ने मंजूर भी कर लिया। लेकिन अब जिस तरह से पंजाब सरकार ने उनके वीआरएस की मांग को खारिज कर वापस नौकरी पर लौटने को कहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि आगामी दिनों में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज ही उन्हें अपना नामांकन भी दाखिल करना है। दरअसल, परमपाल कौर के वीआरएस की मांग को इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही तीन महिने के नोटिस पीरियड को भी माफ करने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने अपने नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि नोटिस पीरियड माफ करना केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसे ध्यान में रखते हुए उनका वीआरएस खारिज कर दिया गया।